



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 19, 2008/फाल्गुन 29, 1929

No. 129]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 19, 2008/PHALGUNA 29, 1929

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(राजस्व विभाग)

(Department of Revenue)

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 19 मार्च, 2008

New Delhi, the 19th March, 2008

सा.का.नि. 195(अ).—केन्द्र सरकार स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (1998 का 46) की धारा 9 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 26 मार्च, 2007 को उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है अथवा करने का लोप किया गया है, के अधिक्रमण में केन्द्र सरकार एतद्वारा एक वर्ष के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:—

- माननीय न्यायमूर्ति श्री मदन बी. लोकुर —अध्यक्ष
- माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेखा शर्मा —सदस्य
- माननीय न्यायमूर्ति श्री संजीव खन्ना —सदस्य

2. यह अधिसूचना 23 मार्च, 2008 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 820/11/2003-पीआईटीएनडीपीएस]

के. एस. शर्मा, उप-सचिव

पाद टिप्पणी : यह अधिसूचना सा.का.नि. 240(अ), दिनांक 26 मार्च, 2007 के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में 26 मार्च, 2007 को प्रकाशित हुई थी।

G.S.R. 195(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988) and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue No. G.S.R. 240(E), dated 26th March, 2007 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes an Advisory Board for a period of one years, consisting of:—

- Hon'ble Mr. Justice Madan B. Lokur, —Chairman
- Hon'ble Ms. Justice Rekha Sharma —Member
- Hon'ble Mr. Justice Sanjiv Khanna —Member

2. This Notification shall come into force with effect from 23rd March, 2008.

[F. No. 820/11/2003-PITNDPS]

K. S. SHARMA, Dy. Secy.

Foot Note : The Notification G.S.R. 240(E), dated 26th March, 2007 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub-section (i) on 26th March, 2007.